न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 146/2021
दायर दिनांक :– 01.04.2021

अनवान

रतन पिता लादू भील नि. बच्छखेडा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. रामलाल पिता उदा भील नि. बच्छखेडा तह. जहाजपुर
2. देउ पत्नि रामलाल भील नि. बच्छखेडा तह. जहाजपुर
3. मनीष पिता चांदमल गुर्जर नि. गुढा तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट प्रार्थी

:: आदेश :: दिनांक 07.01.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गुढा प. ह. गुढा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 229/2 रकबा 0.14 बीघा, आ.न. 229/3 रकबा 0.01 बीघा कुल किता 2 रकबा 0.15 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी स्थित है। ग्राम गुढा प. ह. गुढा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. सं. 230 रकबा 02.00 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। एंव ग्राम रोजडी प. ह. गुढा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. सं. 292 रकबा 0.15 बीघा, आ.न. 293 रकबा 0.06 बीघा, आ.न. 294 रकबा 3.08 बीघा कृषि भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। प्रार्थी की कृषि भुमि जो कि पैरा सं. 1 में वर्णित हैं जिसमें गुढा से देवपुरा जाने आने वाले रास्ता से होकर ग्राम रोजडी प. ह. गुढा की आराजी नं. 294, 293, 292 की पश्चिमी मेड के सहारे दक्षिण से उत्तर की तरफ एंव ग्राम गुढा प. ह. गुढा की आराजी नम्बर 230 की उत्तरी पूर्वी मेड के सहारे सहारे जो 30 फीट चौडा रास्ता है पर होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी जमीन ग्राम गुढा प. ह. गुढा की आराजी नं. 229/2 व 229/2 में कदमी समय से जाता आता रहा है एवं कृषि कार्य, कृषि यंत्र, कृषि उपज को नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी बिन्दु जो 30 फीट चौडा रास्ता से ट्रेक्टर द्वारा हंकाई बुवाई व फसल को लाते ले जाते रहे है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। परन्तु अप्रार्थीगण 1 व 2 एंव 3 ने ग्राम रोजडी प. ह. गुढा की आराजी नं. 292, 293, 294 बिलानाम काबिल काश्त भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कदमी समय से चले आ रहे रास्ता को अवरूद्ध कर दिया है। इसलिये ग्राम रोजडी प. ह. गुढा की आराजी सं. 294, 293, 292 की पश्चिम मेड के सहारे दक्षिण से उत्तर की और व ग्राम गुढा प. ह. गुढा की आराजी नं. 230 की

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

उत्तरी पुर्वी मेड के सहारे 30 फीट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शा में दर्शा रखा है को नक्शा ट्रेस में तरमीम करवा रास्ता खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वर्षो पूर्व चले आ रहे रास्ता को बन्द करने से मना किया तो मरने मारने एवं लडाई झगडा करने पर आमदा हुये। यदि उक्त रास्ता खुलासा नही करते है तो प्रार्थी अपने खाते की जमीन पर आ जा नही पायेगें, न ही कृषि कार्य कर पायेगे व न ही कृषि यंत्र ले जा सकेगें। प्रार्थी भूमि की उचित कीमत मान्य न्यायालय के आदेशानुसार जमा कराने पर तैयार है। प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। इस कारण एक मात्र रास्ता को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करा राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने का हुक्म अप्रार्थीगण को प्रदान करावे व रास्ता की भुमि का प्रतिफल प्रार्थी न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु तत्पर हैं। अतः प्रार्थीग का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने के लिये ग्राम रोजडी प. ह. गुढा की आराजी सं. 294, 293, 292 की पश्चिम मेड के सहारे दक्षिण से उत्तर की और व ग्राम गुढा प. ह. गुढा की आराजी नं. 230 की उत्तरी पुर्वी मेड के सहारे 30 फीट चौडा रास्ता वर्णित संलगन नजरी नक्शे मे प्रदर्शित रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की। उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करा राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने का हुक्म अप्रार्थीगण को प्रदान करावे व रास्ता की भुमि का प्रतिफल प्रार्थीगण न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु सहमत हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थना पत्र के चरण सं. 3 में वर्णित रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की आराजी न. 229/2, 229/3 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 19.07.2021 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये ग्राम गुढा के आराजी नं. 230 में से रास्ता देने पर 0.01 बीघा तथा ग्राम रोजडी प. ह. गुढा के आराजी नं. 292 में से रास्ता देने पर 0.04 बीघा, आराजी नं. 293 में से रास्ता देने पर 0.04 बीघा, आराजी नं. 294 में से रास्ता देने पर 0.02 बीघा कुल 0.11 बीघा भूमि प्रभावित होगी। प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने की स्थिति में ग्राम गुढा के आराजी नं. 230 में से रास्ता देने पर 0.01 बीघा में डी एल सी दर की दुगुनी दर के हिसाब से प्रतिकर 3520 रू. तीन हजार पॉच सौ बीस रू. बनता है। तथा ग्राम रोजडी प. ह. गुढा के आराजी नं. 292 में से रास्ता देने पर 0.04 बीघा, आराजी नं. 293 में से रास्ता देने पर 0.04 बीघा, आराजी नं. 294 में से रास्ता देने पर 0.02 बीघा कुल 0.11 बीघा में डी एल सी दर की दुगुनी दर के हिसाब से प्रतिकर 37341 रू. सैतीस हजार तीन सौ ईकतालीस रू. बनता है। उक्त आराजियात में कुल रकबा 0.11 बीघा में कुल प्रतिकर 40861 रू. चालीस हजार आठ सौ ईकसठ रू. बनता है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी की जोत आ.न. 229/2, 229/2 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी की जोत तक पहुँचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 292, 293, 294 एवं 230 से होकर ही

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

गुजरता है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 229/2, 229/3 में आने जाने हेतु ख. न. 292, 293, 294 एवं 230 में से रास्ता चाहते है। प्रार्थी के आ.न. 229/2, 229/3 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम गुढा प. ह. गुढा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 229/2, 229/3 में आने जाने के लिये आ. न. ग्राम रोजडी 292, 293, 294 एवं ग्राम गुढा 230 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। ग्राम गुढा के आराजी नं. 230 में से रकबा 0.01 बीघा तथा ग्राम रोजडी प. ह. गुढा के आराजी नं. 292 में से रकबा 0.04 बीघा, आराजी नं. 293 में से रकबा 0.04 बीघा, आराजी नं. 294 में से रकबा 0.02 बीघा कुल 0.11 बीघा भूमि भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रभावित रकबा ग्राम गुढा के आराजी नं. 230 में से 0.01 बीघा में डी एल सी दर की दुगुनी दर के हिसाब से प्रतिकर 3520 रू. तीन हजार पॉच सौ बीस रू. बनता है। तथा ग्राम रोजडी प. ह. गुढा के आराजी नं. 292 में से रकबा 0.04 बीघा, आराजी नं. 293 में से रकबा 0.04 बीघा, आराजी नं. 294 में से रकबा 0.02 बीघा कुल 0.10 बीघा में डी एल सी दर की दुगुनी दर के हिसाब से प्रतिकर 37341 रू. सैतीस हजार तीन सौ ईक्तालीस रू. बनता है। उक्त आराजियात में कुल रकबा 0.11 बीघा में कुल प्रतिकर 40861 रू. चालीस हजार आठ सौ ईकसठ रू. बनता है, जो मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को 3520 रू. तीन हजार पॉच सौ बीस रू. एवं राजकोष में 37341 रू. सैतीस हजार तीन सौ ईक्तालीस रू. जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner